

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सुंडाराम

बनाम

नानगी

तारीख हुकम

125  
2011

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

16/12/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/12/2025 को पेश हो |

N

24/12/2025

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15/03/2011 पारित करते हुये वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 67 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 70 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा स्थित ग्राम रामपुरा उर्फ चांवा की नांगल पटवार हल्का इन्द्रगढ़ तहसील जमवारामगढ़ में वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार काशतकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यो का परीक्षण करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नहीं होती है | अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15/03/2011 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो |

निर्णय आज दिनांक 24/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

N